

न्यायालय सहायक क्लर्क (उपखण्ड अधिकारी) वेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
दिनांक 14/5/25

अनवान

उर्फ गलि खबरामाजी श्रील करेरा

निवासी सहाय तब वेष्ट

प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

काबू एमल विला नन्दा जी युर्जर करेरा

निवासी लुहारिया तब वेष्ट

विपक्षी/विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री L.R. गुजरावरा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृपि आराजी मौजा लुहारिया पटवार हल्का इटावा की आराजी संख्या 644/487 कुल कीता-04 कुल रकबा 0:80:30 कृपि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृपि आराजी मौजा लुहारिया पटवार हल्का इटावा की आराजी संख्या 644/487 कुल कीता-04

कुल रकबा 0:80:30 भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता- (2)

उपखण्ड अधिकारी, वेगू
जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 281

प्रार्थना पत्र संख्या 61/25 व अनवान उरी. व. स. 05/05 प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, वेगू
जिला चित्तौडगढ़ (राज.)